


FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपरखण्ड अदालत मुकाम सुरखण्ड  
अदालत बनाम अमर सिंह  
 मुकदमा नं 34 सन 2017

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
11/02/21	<p>पत्नावली पेश हुई। वकील अर्थात् उपस्थित।                      पत्नावली से सम्बन्धित दावा अमर दाजरी                      अमर पत्नी से खरीज हो चुका है। इस                      कारण पार्थना पर अस्वायी निषेधाज्ञा                      को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा।                      पार्थना पर अस्वायी निषेधाज्ञा खरीज किया                      जा रहा है। पत्नावली पेशतश्चुआ होकर नम्बर                      कुछ ही शरकील इफरत हो। मूल दावा के                      साथ लगन रहे।</p> <p style="text-align: center;">                      उपखण्ड अधिकारी सुरखण्ड</p>	

